धारा 26 : कठिनाईयों को दूर करना

(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों, या जो उक्त कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [1]**[**पांच वर्ष**]** की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा ''तीन वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27. 03.2020)।